फा. सं. 4/16/2018-दीपम-II-ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

****

केआईओसीएल लि. में भारत सरकार की 99.06% शेयरधारिता में से 15% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के घरेलू बाजार में "अनुवर्ती सार्वजनिक पेश" के माध्यम से विनिवेश हेतु पंजीयक की नियुक्ति - प्रस्तावों हेतु अनुरोध।

1. <u>प्रस्तावना</u>

केआईओसीएल लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन खनिज और धातु क्षेत्र में एक अनुसूची 'क' मिनी रत्न श्रेणी-I, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है जिसका पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। लौह अयस्क खनन, निस्यंदन प्रोंद्योगिकी एवं उच्च गुणवत्ता के पैलेटों के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त देश की प्रतिष्ठित निर्यातोन्मुखी इकाई वर्तमान में तटीय शहर मैंगलोर में स्थित अपने 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले पैलेट संयंत्र और 2.16 लाख टन क्षमता वाले फाउंडरी ग्रेड पीग आईरन संयंत्र से आयरन आक्साइड पैलेट उत्पादित करने में लगी हुई है। विनिर्माण इकाईयां आई एस ओ 9001:2008, आई एस ओ 14001:2004 से प्रत्यायित हैं और ओएचएसएएस 18001:2007 की अनुपालक हैं। आज की तारीख में कंपनी में 843 नियमित कर्मचारी नियुक्त हैं (कार्यकारी और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षक 278 और गैर-कार्यकारी अधिकारी 565)। कंपनी बैक्वार्ड एंड फॉरवर्ड एकीकृत परियोजनाओं के माध्यम से कोक, डीआईएसपी निर्माण व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना के साथ अगले 2-3 वर्षों में बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रही है। कंपनी ने संयुक्त उद्यम के अधीन विजाग में 2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का पेलेट संयत्र स्थापित करने के लिए आरआईएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया है। केआईओसीएल देवदरी रेंज, बल्लारी जिला, कर्नाटक देवदरी लौह अयस्क ब्लॉक के विकास के लिए वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी है जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2017 में आरक्षित किया गया है। केआईओसीएल द्वारा संचालन और रखरखाव गतिविधियों, खनिज भंड़ार अन्वेषण के व्यवसाय और ईपीसी व्यवसाय में भी विविधता लाई गई है।

1.1 कंपनी ने 170 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर कुल 214 करोड़ रूपए के बदले 1,25,88,235 इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की थी जो कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 1.98% बनती है।

1.2 केआईओसीएल की प्राधिकृत पूंजी 675 करोड़ रुपये है जिसमें से वापस खरीद के बाद 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार 621.92 करोड़ रुपए की निर्गमित और सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी है। भारत सरकार के पास 10 रूपए अंकित मूल्य के 616,051,204 इक्विटी शेयर हैं जो केआईओसीएल की कुल इक्विटी का 99.06% बनती है और शेष 58,74,361 इक्विटी शेयर आम जनता के पास धारित हैं जो 0.94% इक्विटी बनती है।

1.3 वर्ष 1994-95 में इसके विनिवेश के बाद केआईओसीएल के इक्विटी शेयर क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो गए थे। क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने के परिणामस्वरूप यह सीपीएसई फरवरी 2016 से मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (MSEI), नवंबर 2016 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (NSE) और अगस्त 2017 से बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है।

1.4 केआईओसीएल का वित्त वर्ष 2018-19 में करोपरांत लाभ 111.86 करोड़ रु है और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इसका निवल मूल्य 1993 करोड़ रूपए है।

1.5 विनिवेश की जाने वाली प्रदत्त इक्विटी के प्रतिशत का निर्धारण कंपनी की पश्च निर्गम पूंजी के आधार पर किया जाएगा जिसकी गणना प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली (SCRR) के खंड 19 (2) के अनुसार की जाएगी। सार्वजनिक पेशकश का एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। पात्र कर्मचारी और खुदरा निवेशकों को शेयरों की पेशकश निर्गम मूल्य पर छूट पर की जाएगी (जिसे बाद में तय किया जाएगा)।

2. <u>सरकार का निर्णय</u>

2.1 भारत सरकार, केआईओसीएल में अपनी 99.06% शेयरधारिता में से 15% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का (31.03.2019) घरेलू बाजार में अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश करना चाहती है। सार्वजनिक पेशकश का एक भाग कंपनी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। पात्र कर्मचारियों और खुदरा निवेशकों को शेयरों की पेशकश निर्गम मूल्य पर छूट पर की जाएगी (बाद में तय की जाएगी)।

3. पंजीयक का कार्यक्षेत्र

अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश हेतु पंजीयक का कार्यक्षेत्र **अनुबंध-I** में दिया गया है।

4. <u>पात्रता संबंधी मापदण्ड</u>

4.1 उपर्युक्त सौदे के लिए पात्र बनने के लिए रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिएः-

(i) रजिस्ट्रार को, सेबी के पास, श्रेणी-। के रजिस्ट्रार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और जिसकी वैधता अगले छह माह तक मान्य होनी चाहिए (प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं)।

(ii) साफ-सुथरा ट्रेक रिकार्ड - पिछले तीन वर्षों में सेबी की ओर से दंडित/प्रतिबंधित नहीं किया हुआ होना चाहिए और पंजीकरण वैध हो तथा बोली प्रस्तुतीकरण की तारीख को किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीयक के तौर पर कार्य करने से प्रतिबंधित न किया गया हो। इसके अलावा, उसके या उसके सीईओ, निदेशकों/प्रबंधकों/उसकी कंपनी के कर्मचारियों के विरूद्ध कोई जांच लंबित न हो, जो यदि बोलीदाता या उसके किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णित हो जाए तो उससे वह अपात्र बन जाएगा (स्वतः प्रमाणित करें और प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करें)।

(iii) (क) 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार उसके पास कम से कम 1,00,000 फोलियो हों; और

(ख) 01.07.2018 से **30.06.2019** तक की अवधि के दौरान किसी एक आईपीओ, एफपीओ, एसएमईआईपीओ सौदे में कम से कम 25,000 आवेदनों पर कार्रवाई की हो (ब्यौरा लिफाफा सं. 1 में प्रस्तुत किया जाए)।

(iv) आईपीओ/एफपीओ के संचालन में पिछला ट्रेक रिकार्ड।

(v) उसके पास पर्याप्त वित्तिय निवल संपत्ति होनी चाहिए और पिछले सभी तीन वर्षों में निवल लाभ का रिकॉर्ड होना चाहिए।

(vi) केआईओसीएल का प्रचालनात्मक कार्यालय **बेंगलुरू** में होना चाहिए, जहाँ कि उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

5. प्रस्ताव का प्रारूप

इच्छुक फर्में अपना प्रस्ताव निम्न प्रारूप में प्रस्तुत कर सकती हैं ।

क. <u>आरंभिक/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों का संचालन करने हेतु अनुभव एवं दक्षताः</u>
(मूल्यांकन हेतु महत्व 25/100)

(i) संस्था की रूपरेखा
(ii) फर्म की दक्षता, सक्षमता एवं विगत अनुभव तथा सीपीएसईस की आईपीओ/एफपीओ सहित ऐसे कार्यों के संचालन में उसकी विशेषज्ञता
(iii) संचालित की गई पेशकशों का विवरण
(iv) सरकार तथा सीपीएसई के साथ बीआरएलएम तथा अन्य मध्यस्थों के समन्वय में, टीम के एक भाग के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित करना

ख. <u>आधारभूत सुविधाएं एवं मानव शक्ति</u>
(मूल्यांकन हेतु महत्च 25/100)

(i) आधारभूत सुविधाओं का विवरण जैसे कि कार्यालय एवं मानवशक्ति आदि।

(ii) मुख्य एवं सहयोगी दलों का विवरण (प्रत्येक टीम सदस्य के शैक्षिक एवं संबंधित अनुभव समेत संपूर्ण वैयक्तिक ब्यौरा), जिन्हें चयनित होने पर प्रत्येक कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(iii) ग्राहक/निवेशक सेवा के लिए प्रौद्योगिकी (वेबसाइट, आईवीआरएस, अलर्ट, रिपोर्टो द्वारा आबंटन/रिफण्ड्स संबंधी सूचना का प्रसार, कंपनी के डाटा बेस में वेब के माध्यम से पहुंच आदि)।

(iv) तकनीकी आधारभूत ढांचा - डाटा बेस रखरखाव, प्रचुर क्षमता, माप्य योग्यता, डीआरएस और बीसीपी, डाटा सुरक्षा, प्राप्त करना और पुन: प्रापण, संप्रेषण, वायस डाटा प्रबंधन, एकीकरण और वैधीकरण।

(v) कार्यस्थल का क्षेत्रफल, भंडारण सुविधाएं।

(vi) प्रेषण की व्यवस्था- स्वयं, जीपीसी या डाक एजेंटों के द्वारा।

(vii) पिछले तीन वर्षों में निवेशकों की शिकायतों का हल करने में आपके द्वारा लिया गया औसत ऐतिहासिक समय दर्शाएं।

ग. <u>विनियामक ढांचे की समझ</u> (मूल्यांकन हेतु महत्व 20/100)

(i) सार्वजनिक पेशकशों के विधिक, नीतिगत एवं विनियामक मामलों अर्थात सेबी, कंपनी अधिनियम, एफडीआई आदि की समझ का प्रदर्शन।

(ii) निवेशक शिकायत निवारण तथा स्टॉक एक्सचेंजों/बीआरएलएम/सेबी आदि के साथ समन्वय स्थापित करने सहित विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति करने की अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन।

घ. <u>संकेतात्मक समय-सीमा</u> (मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

(i) यह सौदा चालू वित्त वर्ष में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने की क्षमता तथा सौदे की पूर्ण अवधि में मुख्य कार्मिकों की, कार्य से प्रतिबद्ध रहने की क्षमता का प्रदर्शन।

ङ. <u>आरंभिक/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश हेतु रणनीति</u> (मूल्यांकन हेतु महत्व 20/100)

(i) प्रस्तावित सौदों के लिये निश्चित दृष्टिकोण को दर्शाये जिसमें सौदे की क्रमबद्धता भी सम्मिलित हो।

6. <u>प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण</u>

6.1 प्रस्ताव को निम्नानुसार दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाए :

(i) **<u>लिफाफा 1 (सीलबंद)</u>** जिसमें पैरा 5 में दिए गए प्रारूप के अनुरूप तकनीकी बोली तथा पैरा 4.1 के अनुसार पात्रता हो, जो दिनांक **30.08.2019** को **1530** बजे, निवेश

और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), (कमेटी कक्ष सं. 421, चतुर्थ तल, ब्लॉक 11/14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003) में बोलीदाताओं की मौजूदगी में खोला जाएगा। बोली खुलने के बाद बोलीदाताओं को तकनीकी बोली की सॉफ्ट कॉपी दीपम का भेजनी होगी।

(ii) **<u>लिफाफा 2 (सीलबंद)</u>** जिसमें वित्तीय बोली हो और प्रस्तुतीकरणों के बाद केवल उन पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त कर चुकी हों। बोलियों को, बोलीदाताओं (जो प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी अर्हता प्राप्त कर चुके हों) की मौजूदगी में, प्रस्तुतीकरणों के तुरंत पश्चात खोला जाएगा। शर्तों के साथ प्रस्तुत की गई बोली, सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.2 प्रस्ताव (दोनों लिफाफे) की पठनीय मूल प्रतियां, जो पंजीयक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, श्री प्रिय रंजन, अवर सचिव, दीपम, कक्ष सं. 217, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को **दिनांक 30.08.2019 को 1500 बजे** तक जमा की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के डाक/कोरियर संबंधी विलंब के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

6.3 सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस प्रकार प्राप्त किसी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

6.4 <u>बोली-पूर्व बैठक</u>

एक बोली-पूर्व बैठक 19 अगस्त, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे दीपम के सम्मेलन कक्ष (कमरा सं. 421), चतुर्थ तल, ब्लॉक सं. 11/14, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाएगी। बोलीदाता इस मंच का उपयोग अपने सभी प्रश्न पूछने के लिए कर सकता है। बोलीदाताओं को अपने सभी प्रश्न बोली-पूर्व बैठक से पहले प्रस्तुत करने होंगे। बोली-पूर्व बैठक में प्रत्येक बोलीदाता के अधिकतम दो प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।

7. मूल्यांकन प्रक्रिया

(क) अर्हताप्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तुतीकरण एक चयन समिति के समक्ष, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के समिति कक्ष (सं. 421, ब्लॉक सं. 11/14,) सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 003 में करना होगा।

(ख) प्रस्तुतीकरण की समय सूची, दीपम की वेब साइट https://dipam.gov.in/ पर उचित समय पर डाल दी जाएगी।

(ग) चयन समिति, आवेदकों का मूल्यांकन, उपर्युक्त पैरा 5 के मानदंडो के आधार पर करेगी एवं उनके प्रस्ताव तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर, उनकी वित्तीय बोलियों के विचारार्थ, उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध करेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी बोली हेतु यथा-निर्णित अधिकतम

अंक प्राप्त करने वाले पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोलेगी। तकनीकी रूप से संक्षिप्त सूचीबद्ध जिस पार्टी ने सौदे के लिए सबसे कम शुल्क उद्धृत किया होगा उसे केआईओसीएल की एफपीओ के लिए रजिस्ट्रार के रूप में चुना जाएगा।

(घ) न्यूनतम वित्तीय बोली में बराबरी की दशा में तकनीकी बोली में प्राप्त अंक सफल बोलीदाता का निर्णय करेंगे अर्थात तकनीकी मूल्यांकन में जिसने अधिकतम अंक प्राप्त किए होंगे, उसे काम सौंपा जाएगा।

8. वित्तीय बोली हेतु अपेक्षाएं

(क) बोलीदाताओं को वित्तीय बोली **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। एकमुश्त 'उद्धृत शुल्क' कम से कम एक रुपया और उसके बाद एक रुपये के गुणांक में होना चाहिए।

टिप्पणी :

(i) उद्धृत की गई फीस शर्तरहित होनी चाहिए और इसमें आईपीओ/एफपीओ प्रक्रिया हेतु कार्य क्षेत्र में शामिल सभी व्यय शामिल होने चाहिए और इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो परिभाषित कार्य क्षेत्र से प्रासंगिक या जुड़ी हुई हों। समय-समय पर यथा लागू सभी करों और उपकरों का वहन बोलदाता द्वारा किया जाएगा।

(ii) आईपीओ/एफपीओ से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार के डाक खर्च का वहन पंजीयक द्वारा किया जाएगा और इसे उद्धृत फीस में दर्शाया जाएगा।

(iii) बोलीदाता, वित्तीय बोली की वैधता के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता।

(iv) सरकार के पास सौदे को किसी भी चरण पर बिना कोई कारण बताए रदद करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु श्री प्रिय रंजन, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कक्ष सं. 217, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को टेलीफोन नं. 011-24368736, ई-मेल priya.ranjan@nic.in पर संपर्क करें।

*****

अनुबंध-I

एफपीओ के लिए पंजीयक का कार्य क्षेत्र

i. प्रदत्त इक्विटी शेयरों के डीमेटिरियलाइजेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कंपनी की सहायता करना।

ii. कंपनी द्वारा एंकर निवेशकों को निर्गम किए जाने के मामले में एंकर आबंटन के बाद एंकर सीएएन तैयार करना।

iii. एस्क्रो डीमैट खाता खोलना और एफपीओ के खुलने से पहले बिक्रीकर्ता शेयरधारक के बिक्री हेतु प्रस्तावित शेयरों का एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरण सुविधाजनक बनाना।

iv. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) प्राप्त करने के लिए तथा न्यासधारियों के साथ संपन्न किए जाने वाले त्रि-पक्षीय करार को अंतिम रूप देने के लिए कंपनी की ओर से न्यासधारियों के साथ संपर्क करना।

v. अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश पूर्व पूंजी के लॉक-इन सेबी के यथा-संशोधित (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार लॉक-इन को सक्रिय करने के लिए तथा एंकर लॉक-इन के लिए न्यासधारी को निर्देश देना।

vi. यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न स्थानों से ब्रोकरों/निवेशकों/पंजीकृत मध्यस्थों से बोली-सह-आवेदन फार्म एससीएसबीस द्वारा स्वीकृत किए जाएं।

vii. एफपीओ की अवधि समाप्त होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों से इलेक्ट्रॉनिक डाटा एकत्रित करना।

viii. स्व-प्रमाणित सिंडीकेट बैंकों (एससीएसबीस) द्वारा अपलोडिड एएसबीए की कुल संख्या तथा इक्विटी शेयरों की कुल संख्या तथा प्रत्येक एससीएसबी से अपलोडिड एएसबीए के लिए अवरूद्ध कुल राशि के संबंध में समग्र डाटा एकत्रित करना ।

ix. स्टॉक एक्सचेंज से एकत्रित संकलित डाटा का एससीएसबीस से एकत्रित डाटा के साथ मिलान करना।

x. सामंजित डाटा में निर्दिष्ट डीपी आईडी, ग्राहक आईडी एवं पैन (पीएएन) का न्यासधारी के डाटाबेस के साथ मिलान करना।

xi. ऐसी बोलियों की पहचान करना और उनको रद्द करना जिनके संबंध में सामंजित आंकड़ों संशुद्ध आंकड़ो/में निर्दिष्ट डीपी आई डी, ग्राहक आईडी एवं पैन, न्यासधारी के डाटाबेस में दिए गए विवरण से मेल नहीं खाता तथा बहु-आवेदनों की छँटनी करना।

xii. बोलीदाताओं से प्राप्त बोली और धनराशि का पूरा रिकार्ड रखना।

xiii. एससीएसबीस/सिंडीकेट/उप-सिंडीकेट सदस्यों और स्टॉक एक्सचेंज की ऑन लाइन सार्वजनिक पेशकश प्रणाली से लिए गए सभी एएसबीए आवेदनों से संबंधित इलैक्ट्रॉनिक रिकार्डस को हर समय परिशुद्ध बनाए रखना, जिसमें (क) वैध आवेदनों के विरुद्ध इक्विटी शेयरों के निर्धारण एवं (ख) सार्वजनिक पेशकश लेखा (ग) अस्वीकार किए गए/असफल एएसबीए आवेदन सम्बन्धी विवरण शामिल हैं।

xiv. संशुद्धियों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखने के बाद, अनंतिम एवं अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए ऐस्क्रो संग्रहण बैंकरों के साथ और अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एससीएसबीस के साथ समन्वय स्थापित करना।

xv. सम्बन्धित न्यासधारी से समन्वय स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि बोलीदाताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित इक्विटी शेयरों की संख्या हर दृष्टि से सही है।

xvi. समय पर परिशुद्ध डाटा उपलब्ध कराना ताकि नामित स्टॉक एक्सचेंज के समन्वय से निर्धारण एवं आबंटन का आधार तय किया जा सके एवं उसे अंतिम रुप दिया जा सके।

xvii. आबंटन के आधार की सूचना के पश्चात आबंटियों की सूची तैयार करना।

xviii. आबंटन पत्र -सह-सूचना भेजना, शेयरों को आबंटियों के खातों में क्रेडिट करना आदि।

xix. मध्यस्थों के कार्यकलापों की मॉनीटरिंग के लिए प्रभावी प्रक्रिया का अनुपालन करना।

xx. यह सुनिश्चित करना कि लागू विनियमों के अनुसार, अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश की अवधि के दौरान और पेशकश बन्द होने के बाद भी एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र यथा-स्थान है।

xxi. सेबी विनियमों के अधीन या स्टॉक एक्सचेंजों में विनिर्दिष्ट के अनुसार समयबद्ध तरीके से निवेशकों की शिकायतों एवं परिवादों का निपटारा करना और उनका रिकॉर्ड रखना।

xxii. आवश्यक रिपोर्ट आदि उपलब्ध करा कर तथा नामित स्टॉक एक्सचेंज की औपचारिकताओं का अनुपालन करके बिक्रीकर्ता शेयरधारकों/सीपीएसईस की सहायता करना।

xxiii. सूचीकरण आवेदन से संबंधित अनुसूचियां तैयार करना।

xxiv. "लॉक-इन" अवधि, यदि कोई है, के अंतर्गत प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षक/पेशेवर सचिव से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करना कि यह आबंटन, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित किए गए आबंटन के आधार के अनुसार ही किया जा रहा है।

xxv. निर्गम के सिंडीकेट सदस्यों के माध्यम से प्राप्त पूर्वक्रय आवेदनों की सूची को समेकित करना तथा उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना। देय बिक्री कमीशन, यदि कोई है, का विवरण तैयार करना तथा उसके प्रेषण की व्यवस्था करना।

xxvi. अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के पश्चात संगत दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ विभिन्न मॉनीटरिंग रिपोर्टों को अंतिम रुप देना, जो बीआरएलएमस एवं कम्पनी के परामर्श से नियत अवधि के अन्दर सेबी को भेजे जाते हैं।

xxvii. अन्य ऐसे कार्यों, कर्तव्यों, दायित्वों और सेवाओं का निष्पादन करना जो पेशकश के संबंध में लागू नियम (सेबी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों सहित) के अधीन अपेक्षित हों जिसमें ऐसे कार्य, कर्तव्य, दायित्व और सेवाएं शामिल हैं जो यथा-संशोधित सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार किए जाने वाले करार में विशेष रूप से निर्धारित किए जा सकती हैं, परन्तु ये यहीं तक सीमित नहीं हैं।

*****

<u>अनुबंध-II</u>

वित्तीय बोली

उद्धृत एकमुश्त शुल्क (अंकों में) (करों और उपकरों को मिलाकर) (शब्दों में)

टिप्पणी :

(i) एकमुश्त 'उद्धृत शुल्क' कम से कम एक रुपया और उसके बाद एक रुपये के गुणांक में होना चाहिए।

(ii) उद्धृत शुल्क शब्दों और अंकों में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। किसी भिन्नता के मामले में शब्दों में दी गई संख्या पर विचार किया जाएगा।

(iii) सरकार/दीपम कार्य क्षेत्र में परिभाषित या उसकी प्रासंगिक/संबंधित गतिविधियों/प्रक्रिया के संबंध में 'उद्धृत शुल्क' के अलावा किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होंगे।

(iv) वित्तीय बोली की अपेक्षाओं के लिए कृपया पैरा 8 का संदर्भ लें।